संं0-15/2018/287/29-3-2018-2 कार्यालय/2018

प्रेषक,

एस0पी0 त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग
जवाहर भवन लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 10 अप्रैल 2018

विषय-संभागीय खाद्य नियंत्रक, संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी, संभागीय लेखाधिकारी (खाद्य) विन्ध्यांचल संभाग मीरजापुर के कार्यालय भवन के किराये के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0 ले0शा0/2629/टीसी/सं0खा0नि0-मीरजापुर/2003 दिनांक 28-3-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संभागीय खाद्य नियंत्रक, संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी, संभागीय लेखाधिकारी (खाद्य) विन्ध्यांचल संभाग मीरजापुर में विभागीय किरायेदारी में चल रहे श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री गंगाधर दुबे का भवन जिसका कारपेट एरिया 5000.00 वर्ग फुट है, जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा निर्गत किराया औचित्य प्रमाण पत्र तथा विभाग एवं भवन स्वामिनी के मध्य निष्पादित अनुबन्ध के आधार पर रू0 10.00 प्रति वर्ग फुट प्रति माह की दर से रू0 50000.00(रू0 पचास हजार मात्र) मासिक किराया दिनांक 16-6-2017 से पांच वर्ष की अवधि के लिये भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त दर से किराया भुगतान किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्यालय भवन हेतु किराये के रूप में यदि कोई धनराशि पूर्व में भुगतान की गयी हो तो उपरोक्तानुसार समायोजन करते हुए अन्य अवशेष औपचारिकताएं भी अवश्य पूर्ण कर ली जाय।

4- उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्षक 2408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय (अधिप्राप्ति तथा पूर्ति)-17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश प्रशासनिक विभागों को वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ए0पी0त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) / प्रथम सी0ए0एस0एस0।।।टी0ए0डी0 कोआर्डिनेशन उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक खाद्य तथा रसद विभाग जवाहर भवन लखनऊ।
4- संभागीय खाद्य नियंत्रक विन्ध्यांचल संभाग मीरजापुर।
5- जिला खाद्य विपणन अधिकारी मीरजापुर।
6- मुख्य कोषाधिकारी, मीरजापुर।
7- श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री गंगाधर दूबे, निवासिनी-देवपरवा तप्ता कोन, परगना-कंतित, पो0-बल्लीपरवा, जिला-मीरजापुर।
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(ए0पी0त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।